भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला

(आदेश–फलक)

भूमि वापसी वाद संख्या–09 / 2018–19

केश का प्रकार :– भू–वापसी

गुहिराम सिंह, पिता–स्व0 किष्टो सिंह ..... आवेदक

–बनाम–

बालेश्वरी सिंह, पति–कालिपद सिंह .....विपक्षी

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई

यह वाद गुहिराम सिंह, पिता–स्व0 किष्टो सिंह, निवासी ग्राम–चौईरा, थाना–धालभूमगढ़, अंचल–धालभूमगढ़, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत भूमि वापसी आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, धालभूमगढ के पत्रांक–349, दिनांक–05 / 07 / 2018 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ की गयी। इस वाद में बालेश्वरी सिंह, पति–कालिपद सिंह, ग्राम–चौईरा, थाना–धालभूमगढ़, अंचल–धालभूमगढ़ को प्रतिवादी बनाया गया हैं। तदनुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। विवादित भूमि का विवरणी निम्न प्राकर है:–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
चौईरा	420	17	19	0.11 ए0
			20	1.18 ए0
			21	1.55 ए0
			22	0.68 ए0
			23	0.43 ए0
			26	0.53 ए0
			465	0.08 ए0
			653	1.56 ए0
			654	0.13 ए0
			655	0.05 ए0
			1080	0.42 ए0
			656	0.07 ए0
			658	0.02 ए0
चौईरा	420	18	588	0.04 ए0
			661	0.35 ए0
			661 / 1227	0.30 ए0
			681	0.57 ए0
			कुल रकवा	8.07 ए0

उभय पक्ष अपने–अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से दिनांक–06/12/2018 को कारण–पृच्छा दाखिल किया गया हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया कि हाल सर्वे 1964 के खतियान में किष्टो मुण्डा, पिता–वादु मुण्डा तथा मंगल मुण्डा, पिता–भेतांग मुण्डा के नाम पर विवादित भूमि दर्ज हैं, जो आवेदक के पिता हैं। विपक्षी के द्वारा लगभग 15 वर्षो से छल–कपट के माध्यम से अवैध एवं जबरन कब्जा किये हुए हैं। अतः धारा 71(A) के तहत प्रश्नगत भूमि को भू–वापसी (Restore) करने का अनुरोध किया गया हैं।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कारण–पृच्छा में बताया गया कि यह वाद विपक्ष के खिलाफ false दायर किया गया हैं तथा Point of Law or तथ्यात्मक बिन्दुओं को Maintainable नहीं करता हैं। आवेदक द्वारा आवेदित भूमि का भू–वापसी हेतु दायर आवदेन को खरिज किया जाना चाहिए क्योंकि विपक्षी भूमि हस्तांतरण करने में किसी भी तरह से छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 का उलंघन नहीं किया गया हैं। सभी तरह के लगाये गये आरोप गलत एवं बेबुनियाद हैं। प्रश्नगत भूमि में से मौजा–चोईरा, थाना नं0–420, खाता नं0–16 प्लॉट नं0–684, रकवा–0.60 एकड़ तथा खाता नं0–18, प्लॉट नं0–681, रकवा–0.57 एकड़ कुल रकवा–1.17 एकड़ भूमि खतियानी रैयत गुहिराम मुण्डा एवं अन्य से अनुमण्डल दण्डाधिकरी का कार्यालय, घाटशिला के मिस केश संख्या–91/1984–85, दिनांक–13.08.1984 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 के तहत भूमि हस्तांतरण हेतु अनुमति लेने के पश्चात बिक्री केवाला संख्या–5841, दिनांक–27/08/1984 के माध्यम से विपक्षी बालस्वरी सिंह, पति–कालिपद सिंह द्वारा अपने पक्ष में खरीदा गया है। जिसका नामान्तरण मुकदमा संख्या–75/1994–95 है तथा लगान भी वर्ष 2011–12 तक भुगतान कर चुका है। मौजा– चौईरा, थाना नं0–420, खाता नं0–17, प्लॉट नं0–19, 20, 21, 22, 23 एवं 26 रकवा–0.11ए0, 1.18ए0, 1.55ए0, 0.68ए0, 0.43ए0, एवं 0.53ए0 कुल रकवा–4.48 एकड़ भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार के द्वारा अधिग्रहित किया गया है। जिसमें आवेदक को Compensation के तौर पर 12 लाख से 15 लाख तक रकम प्राप्त किया है। भारत का राजपत्र के गजट में भी प्रकाशित हो चुका है। विपक्षी इस संबंध में कभी भी आपत्ति नही किया है। खाता नं0–17, प्लॉट नं0–465, 653, 654, 655, 656 एवं 658 रकवा–0.08ए0, 1.56ए0, 0.13ए0, 0.05ए0, 0.07ए0, एवं 0.02ए0 कुल रकवा–1.91 एकड भूमि के संबंध में कभी भी दावा नही करेगा। वर्त्तमान आवेदक गुहिराम सिंह द्वारा पूर्व में भी विपक्षी की पति कालिपद सिंह के खिलाफ भूमि वापसी वाद संख्या–64/1984–85 अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में वाद दायर किया गया था। जिसमें दिनांक–10/07/1986 को आवेदक के आवेदन को खारिज किया गया।

10/07/19

इस लिए आवेदक का आवेदन पर भूमि वापसी वाद प्रारम्भ नही करना चाहिए।

आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा विपक्ष के कारण–पृच्छा के विरूद्व लिखित बहस समर्पित किया गया है। लिखित बहस के माध्यम से बताया कि जो वाद विपक्षी के खिलाफ वर्त्तमान न्यायालय में चल रहा है वह सही है ओर आवेदक के पक्ष में फैसला देना चाहिए कारण विपक्षी लगातर 12 वर्षो से अवैध रूप से दखल–कब्जा कर सी0एन0टी0 की धारा–46 का उलंघन किया गया है। विपक्षी के द्वारा यह दावा किया है कि भूमि मौजा–चौईरा, खाता नं0–16, प्लॉट नं0–684, रकवा–0.60 एकड़ तथा खाता नं0–18, प्लॉट नं0–681, रकवा–0.57 एकड़ कुल रकवा–1.17 एकड़ भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 के तहत परमिशन लेने के पश्चात प्रथम पक्ष एवं अन्य के द्वारा बिक्री किया गया है और उनके अपने नाम से अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ में नामान्तरण किया हुआ है। परन्तु मुख्य तथ्य यह है कि आवेदक न तो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 के तहत परमिशन लिया है न ही विपक्षी को जमीन बेचा है। खाता नं0–16, प्लॉट नं0–684, रकवा–0.60 एकड़ इस वाद से संबंधित नही है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि विपक्षी के नाम नामान्तरण नही हुआ है तथा राजस्व पंजी–II में विपक्षी का नाम दर्ज नही है वह अवैधानिक रूप से जमीन पर दखल कब्जा किया हुआ है। विपक्षी का कथन है कि प्लॉट नं0–19 से 21, 22, 23, तथा 26 कुल रकवा–4.48 एकड़ भूमि राष्ट्रीय उच्च पथ के प्रधिकार के द्वारा अधिग्रहित किया गया है तथा उसके एवज में Compensation भी उनको मिल चुका है। यह सरासर गलत है एवं मिथ्या है। विपक्षी के द्वारा सिर्फ समाचार पत्र का नोटिफिकेशन दाखिल किया गया है। मुख्य बात यह है कि राष्ट्रीय उच्च पथ के प्रधिकार के द्वारा कुछ भाग जमीन प्लॉट नं0–19, 20, एवं 21 कुल रकवा–0.64 एकड़ भूमि का Compensation आवेदक एवं अन्य को अभिलेख संख्या–6/2012–13 एवं पाचट संख्या–01 के माध्यम से मिला है। इसलिए विपक्षी का दावा गलत है। विपक्षी के द्वारा 6 प्लॉट जिसका कुल रकवा–4.48 एकड़ भूमि का कारण–पृच्छा में जिक्र है जो दोनो में विन्नताऐं है तथा न्यायालय को सिर्फ गुमराह कर रही है। अतः धारा 71(A) के तहत प्रश्नगत भूमि को आवेदक के पक्ष में भू–वापसी (Restore) करने का आदेश पारित करना चाहिए।

अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया हैं कि प्रश्नगत भूमि किष्टो सिंह मुण्डा के नाम पर हाल सर्वे 1964 के खतियान में दर्ज है तथा पंजी–II में भी किष्टो मुण्डा, पिता–वादु मुण्डा के नाम पर जमाबंदी कायम है। आवेदक गुहिराम मुण्डा ने विपक्षी बालश्वरी सिंह को धारा–46 सी0एन0टी एक्ट–1908 के तहत प्रश्नगत भूमि से विविध वाद संख्या–91/1984–85, दिनांक– 13/08/1984 द्वारा पूर्वानुमति लेने के पश्चात बिक्री केवाला संख्या–5841, दिनांक–27/08/1984 के माध्यम से मौजा–चौईरा, थाना नं0–420, खाता नं0–18, प्लॉट संख्या–681, रकवा–0.57 एकड़ भूमि को

10/07/19

बिक्री किया गया हैं। परन्तु विपक्षी बालेश्वरी सिंह का नाम से पंजी–II मै जमाबंदी कायम नही है। उक्त भूमि पर विपक्षी के द्वारा 15 वर्षो से अवैध रूप से दखलकर है।

अतः अंचल अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन, संलग्न कागजात को देखने तथा दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सूनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आवेदित भूमि में से विपक्षी द्वारा क्रय किया गया भूमि मौजा–चौईरा, थाना नं0–420, खाता नं0–18, प्लॉट संख्या–681, रकवा–0.57 एकड़ तथा राष्ट्रीय उच्च पथ के प्राधिकार के द्वारा अधिग्रहित भूमि को छोड़कर अवशेष भूमि पर दखल दिलाने हेतु स्वीकृति दी जाती है। अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ को आदेश दिया जाता है कि भूमि चिन्हित करते हुए आवेदक को दखल दिलाया जाय। अंचल अधिकारी, घालभूमगढ़ पारित आदेश का अनुपालन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन एक माह के अन्दर भेजना सूनिश्चित करेंगे।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यो में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक–...10... / 07 / 2019 को पारित किया जा रहा हैं।

यदि पारित आदेश के विरुद्ध किसी को अपात्ति हो तो वे सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 10/7/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

(हस्ताक्षर) 10/7/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

c.c. of final order & C.O. report is issued to both parties.
(हस्ताक्षर) 25/07/19